न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 मोतीमहल, ग्वालियर

/04-05 निगरानी - 311 - II /2005

1- विश्वनाथ पुत्र रामदयाल
जाति ब्राम्हण, निवासी - ग्राम
काथा, तहसील मिहौना,
जिला - भिण्ड (म0प्र0)

2- महिला प्रेमवती बेवा भोगीराम
जाति ब्रा0 निवासी - ग्राम
काथा, तह0 मिहौना, जिला -
भिण्ड (म0प्र0)
--- निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- रनधीर प्रसाद पुत्र जगदेव
जाति ब्रा0 निवासी ग्राम काथा
तहसील मिहौना, जिला भिण्ड
(म0प्र0)

2- मध्यप्रदेश शासन जर्ये कलेक्टर
भिण्ड (म0प्र0)
--- अनावेदक/रिस्पा0

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.1.05 प्र0क्र0 1/2003-2004 मे दुखित होकर जिसमें एस.डी.ओ. आदेश दिनांक 23.7.03 प्र0क्र0 41/2001-2002

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि क्रमांक 1977 रकबा 0.036 हे0 में स्थित कुंआ मय पाड़ पर, राजस्व खसरा में निगरानीकर्तागण क्र0 1 का आधिपत्य अंकित किये जाने

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 311–दो/05 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–01–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 1/2003–04/नि0मा0 में पारित आदेश दिनांक 14–1–05 से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक विश्वनाथ द्वारा विचारण न्यायालय में एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि गाम काधा स्थित विवादित भूमि आराजी नं. 1977 रकबा 0.036 हैक्टर में स्थित कुंआ मय पाड़ पर खसरे के खाना नंबर 12 में मृतक भोगीराम के बजाय उसका नाम अंकित किया जाये । तहसीलदार ने आदेश दिनांक 4–7–2002 द्वारा मृतक भागीराम का नाम निरस्त कर शेष प्रविष्टि यथावत रखने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कं0 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 23–7–2003 द्वारा स्वीकार की एवं प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने द्वितीय अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए	

R-311-II/05 (Ar05)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
	गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने एवं विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विवादित भूमि में 1/2 का हिस्सा भोगीराम पुत्र रामदयाल का था और उसने शपथपत्र पेश किया है कि उसने अपने स्वामित्व की भूमि अनावेदक कमांक 1 रणधीरसिंह को विकय कर दी है वह मेरे 1/2 हिस्से भाग के कुंए का उपयोग–उपभोग करें, इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक रणधीर सिंह प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है । विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुने बिना आदेश पारित किया गया है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निराकरण करने के जो निर्देश दिए हैं उनमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है और ना ही अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में कोई सारवान गलती की है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	